परियोजना के सम्बन्ध में

हिमाचल प्रदेश सरकार (GoHP) विश्व बैंक वित्त पोषित "हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना " (एचपीएचडीपी) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के छोटे किसानों और कृषि उद्यमियों को चुनिंदा बागवानी फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता और बाजार पहुंच बढ़ाने हेतु सहायता प्रदान करना है।

एचपीएचडीपी में चार घटक हैं (i) बागवानी उत्पादन व विविधीकरण (ii) मूल्यवर्धन और कृषि उद्यम विकास, (iii) बाजार विकास और (iv) परियोजना प्रबंधन।

एग्री बिज़नेस प्रमोशन फैसिलिटी (एबीपीएफ), मूल्यवर्धन और कृषि उद्यम विकास का एक भाग है जो राज्य के बागवानी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

कृषि / बागवानी क्षेत्र में प्रमुख व्यावसायिक अवसर:

- फलों के लिए आधुनिक नर्सरी की स्थापना
- फल एवं सब्जी प्रसंस्करण
- सेब ग्रेडिंग और पैकिंग यूनिट
- सेब के चिप्स
- सेब का सिरका
- शहद उत्पादन और प्रसंस्करण
- सघन बागानों के लिए ट्रेलीस और एंटी-हेल नेट
- फूल बल्ब उत्पादन व्यवसाय
- टिश्यू कल्चर इकाइयां
- पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना
- पत्ती -पोषण परीक्षण और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला
- बागवानी प्रबंधन एजेंसी

एबीपीएफ (ABPF) के बारे में

हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना (एचपीएचडीपी) के माध्यम से राज्य के बागवानी क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य के लिए, एग्री बिज़नेस प्रमोशन फैसिलिटी (एबीपीएफ) का गठन किया गया है, इसमें कृषि एवं बाग़वानी सम्बन्धी रुचिगत उद्यमियों एवं वर्तमान में स्थापित व्यवसायों के विस्तार हेतु विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम है।

संपर्क करें:

एबीपीएफ टीम, शिमला
बीरी सिंह, एग्री-बिज़नेस स्पेशलिस्ट
ई-मेल आईडी: hdp-abs-hp@gov.in

शिमला	-	योगेश शर्मा	(+91 8894497175)
सोलन	-	अभय ठाकुर	(+91 9311018839)
मंडी	-	मनोज कुमार	(+91 9811185010)
कांगड़ा	-	आशीष यादव	(+916283566648)

कार्यालय का पता:

एबीपीएफ (ABPF) सेल,
हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना (एचपीएचडीपी),
डायरटन बिज़हब, ताल्लैंड बाईपास,
शिमला (एच पी) – 171001 फ़ोन नंबर: 0177- 2674465, 2674937

एग्री बिज़नेस प्रमोशन फैसिलिटी (ABPF) के तहत समर्थन

हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना (HPHDP)

एबीपीएफ के तहत मैचिंग ग्रांट प्राप्त करने की प्रक्रिया

01 प्रोजेक्ट कांसेप्ट नोट की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध (EoI)
इच्छुक उद्यमियों को प्रोजेक्ट कांसेप्ट नोट जमा करने के लिए एचपीएचडीपी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

02 प्रोजेक्ट कांसेप्ट नोट की स्क्रीनिंग
इच्छुक आवेदकों के जमा किये गए प्रोजेक्ट कांसेप्ट नोट की जांच एबीपीएफ द्वारा की जाएगी और आवेदकों से प्रासंगिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

03 विस्तृत बिज़नेस प्लान का सबमिशन
प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद जो प्रोजेक्ट कांसेप्ट नोट उपयुक्त पाए जायेंगे, उन आवेदकों को विस्तृत बिज़नेस प्लान जमा करने के लिए कहा जाएगा, एबीपीएफ टीम इसमें उनकी सहायता करेगी।

04 विस्तृत बिज़नेस प्लान का मूल्यांकन
जमा की गई बिज़नेस प्लान का मूल्यांकन एक स्वतंत्र मूल्यांकन पैनेल द्वारा किया जाएगा।

05 चयनित आवेदकों को सूचना
मूल्यांकन के बाद योग्य आवेदकों को मैचिंग ग्रांट के लिए सूचित किया जाएगा एवं एग्रीमेंट किया जाएगा ।

06 मैचिंग ग्रांट रिलीज
मैचिंग ग्रांट को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। मैचिंग ग्रांट के संवितरण से पहले, एबीपीएफ द्वारा परियोजना की प्रगति का निरक्षण किया जाएगा।

एबीपीएफ टीम द्वारा सहायता के पहलू

मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से क्षमता निर्माण
- मेन्टरशिप प्रोग्राम एबीपीएफ के तहत एक ऐसी सुविधा है, जहां सूचना और मार्गदर्शन के लिए, उद्यमियों को अपने व्यावसायिक क्षेत्र में सफल और जानकार व्यक्तियों/ सलाहकारों से जोड़ा जायेगा
- मेन्टरशिप प्रोग्राम का लाभ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से लिया जा सकेगा

निवेश में सहायता
- आकर्षक निवेश परियोजनाओं की पहचान में सहायता
- व्यापार योजनाओं की अवधारणा में सहायता
- बायर-सैलर मीट का आयोजन
- बिज़नेस- बिज़नेस मीट का आयोजन
- निवेश प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी साँझा करना।

क्रेडिट प्राप्त करने में सहायता
- एबीपीएफ टीम उद्यमी को बैंक से जुड़ने में सहायता करेगी
- एबीपीएफ टीम उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता पर भी मार्गदर्शन प्रदान करेगी
- क्रेडिट के लिए उपलब्ध योजनाओं पर जानकारी प्रदान करेगी
- एबीपीएफ टीम कृषि उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी समस्याओं को उचित मंच पर साँझा करेगी

मैचिंग ग्रांट
- एबीपीएफ में प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं के लिए मैचिंग ग्रांट अनुदान का प्रावधान है
- यह परियोजना लागत का 30% है, अधिकतम INR 60 लाख है
- एचपीएचडीपी नियमित अंतराल पर प्रस्तावों के लिए ई.ओ.आई जारी करेगा
- उद्यमी आवेदन कर सकते हैं और मिलान अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, यदि योग्य पाया गया
- प्रस्ताव का चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा

कृषि/ बागवानी व्यवसाय से संबंधित बेहतर तकनीक की जानकारी
- व्यापार सम्बंधित नवीनतम तकनीकों पर जानकारी साँझा करना
- अनुसंधान संस्थानों से जुड़ने में सहायता
- नई तकनीक के लिए इन्क्यूबेशन समर्थन
- पुरानी तकनीक के नवीनीकरण में सहायता

हमारे साथ कौन जुड़ सकता है

प्रगतिशील किसान	किसान उत्पादक संगठन (FPO)	नए उद्यमी	सूक्ष्म, छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग	सहकारी समिति / निगम	शैक्षिक और शोध संस्थान	वित्तीय संस्थाए